PAPERS LAID ON THE TABLE

STATEMENT SHOWING ACTION TAKEN BY GOVERNMENT ON ASSURANCES BY MINISTERS ETC.

The Minister of Communications and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): Sir, I beg to lay on the Table the following statements showing the action taken by the Government on various assurances, promises and undertakings given by Ministers during the various sessions shown against each:

(i) Supplementary Statement No. I—Ninth Session, 1964 (Third Lok Sabha).

(ii) Supplementary Statement No. III—Eighth Session, 1964 (Third Lok Sabha).

(iii) Supplementary Statement No. VI—Seventh Session, 1964 (Third Lok Sabha).

(iv) Supplementary Statement No. IX—Sixth Session, 1963 (Third Lok Sabha).

(v) Supplementary Statement No. XI—Fifth Session, 1963 (Third Lok Sabha).

(vi) Supplementary Statement No. XIV—Fourth Session, 1963 (Third Lok Sabha).

(vii) Supplementary Statement No. XXI—First Session, 1962 (Third Lok Sabha).

(viii) Supplementary Statement No. XIX—Twelfth Session, 1960 (Second Lok Sabha).

[Placed in Library. See Nos. LT-3412|64 to LT-3419|64].

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, I have something to say on these assurances. The same question was raised by Dr. Lohia in the form of a censure motion, and it is this. The Prime Minister, while replying to the no-confidence motion in this House, stated that all the jeeps which have been given to Community Development will be withdrawn. It was more than an assurance; rather it was a declaration in the Lok Sabha. According to the information in my possession and in the possession of my hon. friend, Dr. Lohia, these jeeps have not been withdrawn. In that case, an assurance which was given in this House in the form of a declaration even by the Prime Minister has not been implemented.

Mr. Speaker: He can write to the Committee on Assurances. It will go into the matter and make a report to this House when we can look into it. It cannot be raised in this manner.

Shri S. M. Banerjee: That statement was made by no less a person than the Prime Minister himself.

Mr. Speaker: It might be so. Yet, without looking into the records, one cannot decide whether it is an assurance and the proper body to do it would be the Committee on Assurances.

अब अगर मैं ने 20 और माननीय सदस्यों को उठाने नहीं दिया तो यह नहीं हो सकता कि आप के लिए मैं कोई अलग फैसला करूं। इस समय आप बैठ जायें।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निन्दा का प्रस्ताव है यह आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। न यह कार्यस्थगन का प्रस्ताव है न ही यह कोई और प्रस्ताव है। आप इस तरह से निन्दा के प्रस्ताव को टाल कर के अच्छा काम नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अपनी ड्यूटी के सिलसिले में मुझ से कई काम ऐसे होंगे जो माननीय सदस्यों को अच्छे नहीं लगेंगे लेंकिन एक लोकतंत्री पद्धति में उन्हें मेरे निर्णय को मानना होगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर इसी तरह से चलने दिया गया तो यह बहुत बुरा काम होगा जोकि लोक-सभा के इतिहास में लिखा जायेगा । मेरे लिए यह नामुमकिन है कि मैं इस बुरे काम के चलते हुए कोई और कार्य यहां पर चलने दूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस तरह से लगातार चलते रहते हाउस की कार्यवाही को रोक नहीं सकते ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप अपना कर्त्तव्य करें मैं अपना कर्त्तव्य करूंगा। मैं नहीं चाहता कि सरकार को आदत पड़ जाय कि वह एक तरफ़ घोषणा करती जाय और दूसरी तरफ उस का अमल और रवैया उन घोषणाओं के बिलकुल विपरीत हो ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यह नहीं चाहूंगा कि किसी भी माननीय सदस्य को ऐसी कार्यवाही करने का मौक़ा मिले कि सदन का काम ही आगे न चलने पाये और जब भी वे चाहें बिजनैस को रोक कर बीच में खड़ हो जायें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आप से अर्ज कर रहा हूं कि आप मुझे अपनी बात कह लेने दें । मैं कायदे के मुताबिक काम कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं डाक्टर साहब आप क़ायदे के मुताबिक़ काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप क़ायदे के मुताबिक काम करना चाहते हैं तो आप इस वक्त बैठ जाइये । डा० लोहिया, अभी जब मैं यहां से उठ कर जाऊंगा तो आप मुझे लिख कर अपनी बात भेज दीजिये या खुद आप मेरे पास आ जाइये और मैं उसी वक्त आप का जो कहना है उस सब पर विचार कर लूंगा और आप को बतला दूंगा । जब मैं ने यहां 20 मेम्बरों को अपने मामलात उठाने की इजाजत नहीं दी तो आप के साथ अलग बर्त्ताव कैसे कर सकता हूं और आप को कैसे इजाज़त दे सकता हूं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : मुझ से आप यह बीस मैम्बरों का जिक्र मत किया करें मेरा एक बिल्कुल अलग मामला है । मेरा निन्दा का प्रस्ताव है

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए हर एक मैम्बर समान है और मैं कैसे एक दूसरे मे अन्तर कर सकता हूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं अपने हक़ पर खड़ा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को फिर कहूंगा कि वह इस वक्त बैठ जायें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मै बैठ जाऊं क्योंकि कल तो मैं यहां पर रहूंगा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब आप अभी बैठ जायें । मैं आज ही उसे सुनकर अगर आप के उस मामले को लेना चाहूंगा तो उसे आज ही ले भी सकता हूं लेकिन इस वक्त आप को उसे उठाने की इजाजत नहीं दे सकता । इसलिए मैं आप से फिर यही कहूंगा कि आप इस समय बैठ जाइये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : इस के मानी हैं कि मैं आप से मिल तो ज़रूर लूंगा फिर उसके बाद भी मैं इस प्रश्न को उठाऊंगा ।

Shri S. M. Banerjee: I thought I have availed of the correct opportunity to raise it because the hon. Minister has laid a statement on the Table on the very subject.

Mr. Speaker: But no assurance can be taken up in this manner.

Shri Bade (Khargone): When an assurance has been given on the floor of the House, could we not ask whether

it is not an assurance and whether it has or has not been implemented?

Mr. Speaker: He can at the proper time. If there is any doubt in the mind of any hon. Member that some assurance which was given in the House was not implemented, he could certainly write to the Assurances Committee to look into the matter and make a report to the House. If any Member feels dissatisfied that a particular assurance has not been looked into by the Committee, or not complied with by Government, he can write to me or to the Committee. The Committee would look into it and make a report whether it was really an assurance. At that stage, if the hon. Member wants a discussion on that report of the Committee, certainly he can give notice.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, आश्वासन में और घोषणा में ज़मीन आस्मान का फर्क है । आश्वासन का मैं एक उदाहरण देता हूं । अगर कोई कहे कि हम प्राथमिक शिक्षा को बढ़ायेंगे तो यह तो आश्वासन होता है और अगर सरकार कहे कि प्राथमिक शिक्षा हम ने अनिवार्य बनाई है तो वह घोषणा होती है । इसलिए जीपों के बारे में कोई आश्वासन प्रधान मंत्री ने नहीं दिया था बल्कि प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी और घोषणा को आश्वासन के स्तर पर रख देना यह बिल्कुल अनुचित है और इसलिए यह चीज़ इस रूप में नहीं आ सकती है ।

Mr. Speaker: Shri Banerjee is getting a reply from Dr. Lohia.

Shri S. M. Banerjee: I still maintain it is more than an assurance.

अध्यक्ष महोदय : बड़ी अच्छी बात है । मैं, आप का बड़ा मशकूर हूं कि आप ने मेरी मदद की ।

डा० राम मनोहर लोहिया : हंसते रहो । इस देश को आप लोगों ने चौपट किया है अपनी हंसी से । हंसो और झूठ फैलाते रहो इस देश में ।

12.31 hrs.

OPINIONS ON BILL

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam): Sir, I beg to lay on the Table Paper No. V to the Bill further to amend the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure, 1898, which was circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the direction of the House on the 13th September, 1963.

12.31½ hrs.

STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 AND MINISTER'S REPLY THERETO

RE. REPORT ON MAL-TREATMENT OF SHRI HUKAM CHAND KACHHAVAIYA IN AMBALA JAIL

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) अध्यक्ष महोदय, मैं अम्बाला सैंट्रल जेल में मेरे साथ किये गये दुर्व्यवहार के आरोपों की अम्बाला के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जांच-रिपोर्ट सम्बन्धी विवरण और सरकार के तत्सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में, जो 15 अप्रैल, 1964 को टेबुल पर रखा गया था, एक वक्तव्य टेबुल पर रखता हूं । [*Placed in Library. See* No. LT-3420/64].

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, this should be circulated.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): Sir, I beg to lay on the Table a statement in reply thereto. [*Placed in Library. See* No. LT-3420/64].